

अभ्यर्थी का फोटो प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक द्वारा घोषणा

विषय: गौरी प्रजावाद, खण्ड (वाण) (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से----- (सदन का नाम लिखें) के लिए निर्वाचन/विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद/राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

मैं मंजू लता (नाम एवं पता), श्री अश्विन कुमार का पुत्र/पुत्री/पत्नी, जो अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हूँ, एतद्वारा मतपत्र पर फोटो के मुद्रण के प्रयोजनार्थ फोटो प्रस्तुत करता/करती हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि यह फोटो निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले 3 माह के दौरान लिया गया है।

(यह भाग स्वयं भरें जब अभ्यर्थी स्वयं फोटो प्रस्तुत कर रहा है)

मैं----- (नाम), श्री----- (अभ्यर्थी का नाम एवं पता), श्री----- का पुत्र/पुत्री/पत्नी, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, एतद्वारा मतपत्र पर फोटो के मुद्रण के प्रयोजनार्थ उक्त अभ्यर्थी का फोटोग्राफ प्रस्तुत करता/करती हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि यह फोटो निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले 3 माह के दौरान लिया गया है।

(यह भाग भरें जब निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक फोटो प्रस्तुत कर रहा है)

तारीख 16-1-2017

Mangy Jaha  
नाम (मंजू लता)  
पता 228 K अहिलयापुर (गौरी)  
दूरभाष 0565 82 8480

6  
1:05 PM

प्ररूप 2ड.  
(नियम 4 देखिए)  
नामनिर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन



भाग-1

हम उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए गोरखपुर फैजाबाद विधानसभा क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम मेजू लता (पिता/माता/पति का नाम) अमित कुमार उसका डाक पता 228 K अलहाबाद पर गोरखपुर इसका नाम 322 गोरखपुर शहर विधानसभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 321 में क्रम सं० 319 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम गोरखपुर फैजाबाद विधानसभा परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

## प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग में क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6

1.	213	659	विनोद कुमार Vinod Kumar	16-1-2017	
2.	213	667	वीरेंद्र सान्याल Vinod Sanyal	16-1-2017	
3.	212	62	आभा Abha	16-1-2017	
4.	212	16	आदर्श कुमार Adarsh Kumar	16-1-2017	
5.	212	9	अभिषेक Abhishek Kumar	16-1-2017	
6.	213	36	अजित कुमार Ajeet Kumar	16-1-2017	
7.	213	448	रवीन्द्र कुमार Ravindra Kumar	16-1-2017	
8.	213	419	रमेश कुमार Ramesh Kumar	16-1-2017	
9.	213	423	राम किशोर Ramkishor	16-01-2017	
*10.	188	1074	राजेश्वरी चौधरी Rajeshwari Choudhary	16-01-2017	

प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिए।

fakrini  
16-01-2017

मैं, ऊपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 38 वर्ष की आयु पूरी कर ली है :

(ग) मैं इस निर्वाचन में सिद्धी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ;

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा

गया है;और

(ड.) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं गोवर्धन केजावद 1905 सातक परिषद निर्वाचन-क्षेत्र से 30.47

(राज्य) की विधान परिषद् के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 16-01-17

Manjiv Loh  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो, उसे काट दें।

**भाग 2**  
**(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)**

क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए :या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है :या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके)

लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... *कुद नहीं*
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (जिले) ..... राज्य ..... *कुद नहीं*
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ..... *कुद नहीं*
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) ..... *कुद नहीं*
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... *कुद नहीं*
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें ..... *कुद नहीं*
- (vii) कारागार से निमूर्ति की तारीख (तारीखें) ..... *कुद नहीं*
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे: हां/नहीं *नहीं*
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां एवं तारीख ..... *कुद नहीं*
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे ..... *कुद नहीं*
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या यह/वे लॉबित है ..... *कुद नहीं*
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... *कुद नहीं*
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) ..... *कुद नहीं*

*नहीं*

स्थान : *गोरखपुर*  
तारीख : *16-01-17*

*Mainy Jaha*  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग 3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं० ..... 06 .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ..... 16-1-17 ..... (तारीख) को ..... 1.05 P.M. .... (बजे)  
अभ्यर्थी/प्रस्थापक ..... मंजू माली ..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख ..... 16-1-17 .....

रिटर्निंग आफिसर

भाग 4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और  
मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : ..... नामनिर्देशन पत्र रद्द है

तारीख ..... 18/1/17 .....

रिटर्निंग आफिसर



सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

मैं अपना नाम निम्न प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखवाना चाहता हूँ।

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में

.....  
MANJU LATA

.....  
मंजु लता

स्थान : गोरखपुर

दिनांक : 16.01.17

Manju Lata  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

मैं अपना नाम निम्न प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखवाना चाहता हूँ।

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में

स्थान : गोरखपुर

दिनांक : 16.01.17

Manju Lata  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

## शपथ या प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))

मैं मंजू लता जो विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

Mangya Lata  
(उम्मीदवार के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमती मंजू लता ने आज दिनांक 16-1-17  
(माह) जनवरी 2017 को आयुक्त न्यायालय क्षेत्र  
(स्थान) पर 1:20 P.M. बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

[Signature]  
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम पदनाम और मुहर)

यह सूचना .....(नाम) द्वारा, जो ..... है,  
(तारीख) को .....(बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।  
तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

### अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के लिए रसीद (सूचना परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

.....की, जो कि..... \*के लिए निर्वाचन में (विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी) है,  
अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना ..... द्वारा.....(तारीख) को.....(बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

रिटर्निंग आफिसर

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए-

- (1) अभ्यर्थी।
- (2) अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।
- (3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।

प्ररूप 8

(नियम 12(1) देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

..... \*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....जो.....का हूँ और ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा .....  
.....कल.....को ऊपरवर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ।

स्थान .....

तारीख.....

*Manju Jaha*

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं ऊपरवर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहीत करता हूँ।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....

अनुमोदित

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर और मुद्रा

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) .....विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 9

(नियम 12(2) देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

..... \*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती-

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा अपने निर्वाचन अभिकर्ता, .....  
की नियुक्ति प्रतिसंहरण करता हूं।

स्थान.....

तारीख.....


Majid Jada


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।



  
**Jitendra Nath Tripathi**  
 NOTARY  
 Distic Court Gko  
 16-01-2017

Manju Jada

शायब कर्मा  
 मैज्स् लला

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

गोरखपुर जिला बाणेश्वर विधान क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विधान परिषद (सदन का नाम)  
के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



भाग-अ

मैं, मेजरमता \*पुत्र/पुत्री/पत्नी... अमित कुमार आयु... 38 वर्ष, जो अलखियापुरा का/की...

निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे सिद्ध लीय... (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(\*\*जो लागू हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम गोरखपुर जिला बाणेश्वर विधान क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में क्रम सं. 399 पर, भाग सं. 379 में प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 0565828400 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और... ई-मेल पता (यदि कोई हो) है।

(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिती

क्रम सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	आय-कर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपये में)
1. स्वयं	मेजरमता	ACWPL7959H	2015-16	630493
2. पति/पत्नी	अमित कुमार	BDPPA4578Q	2015-16	495271
3. आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4. आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5. आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए है, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं होता

NOTARY  
Narendra Nath Tripathi  
16-1-2017

Majid

**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरचित किए है	नाम नहीं होता
(ङ.)	तारीख जिस पर आरोप विरचित किए गए	नाम नहीं होता
(च)	क्या सभी या किसी कार्रवाई पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	नाम नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (८) में लिखित मामलों के

अलावट :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	नाम नहीं होता
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	नाम नहीं होता
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों (यदि कोई हैं), के ब्यौर	नाम नहीं होता

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :  
निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	नाम नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाम नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	नाम नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति :	नाम नहीं होता

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थायी और अस्थायी आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूं :

क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1: संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण 2: निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3: वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4: आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।

*Jitendra Nath Tripathi*  
**NOTARY**  
District Court Gkn  
16-1-2017

*Manjiv Jethi*

**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
(कानूनी नियम और आदेश)

**टिप्पण 5:** प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	हाथ में रोकड़	30 हजार	32 हजार	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	बचत खाता 17,267 पी.पी.एफ. 38,650	बचत खाता 46,276 पी.पी.एफ. 6,65,050	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	एल.आई.सी. 43,253	एल.आई.सी. 27,954	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(vi)	मोटर यान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	250 ग्राम सोने के जेवर 2,50,000/-	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	779170	12,93,280	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं

**ख. स्थावर अस्तियों के ब्यौरे :**

**टिप्पण 1:** संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।


**टिप्पण 2:** इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

*Jitendra Nath Tripathi*  
**NOTARY**  
Distic Court Gkp

16-1-2017

*Majid Jaha*

**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
(कानूनी नियम और आदेश)



क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	कुद नहीं	दकिया	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)		12.385 ई.	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुद नहीं	सन 2010	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुद नहीं	7,40,000	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुद नहीं	10 लाख	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि: स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	शिवपुरा सुदका गेज गोखपुरा	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	5354	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	4-02-14	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	5054800	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	60 लाख	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	

*Jitendra Nath Tripathi*  
**NOTARY**  
Distric Court, Gkg  
16/1/2017

*Manjinder*

**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
(vi)	ऊपर (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	60 लाख	10 लाख	कुद नही	कुद नही	कुद नही

8 मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरें नीचे देता हूं-

**टिप्पण :** कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यक्ति के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरें दें)

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 23,30216 गृह ऋण	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 68,723 व्यापारगत ऋण	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य ब्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	कोई अन्य दायित्व	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	दायित्वों का कुल योग	23,30216	68,723	कुद नही	कुद नही	कुद नही
(ii)	सरकार के देय : सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देय	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही
	टेलीफोनों/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही	कुद नही

Jitendra Nath Tripathi  
NOTARY  
Distric Court, Gkp

16-1-2017

Mainy Jaly

**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
(कानूनी नियम और आदेश)

विभाग को देय	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
सरकारी परिवहन से संबंधित विभागों को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित)	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
आय-कर देय	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
संपत्ति कर देय	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
सेवा कर देय	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
नगरपालिका/संपत्ति कर देय	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
बिक्री कर देय	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
कोई अन्य देय	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(iii) सरकार के सभी देयों का कुल योग	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं	कुद नहीं

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं.....

(ख) पति/पत्नी.....

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

सम. ए. राजनीति शास्त्र में बी. ए. 2001, डी. पी. एड.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरें दें, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरें दे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

**भाग ख**

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरों का सार :

1.	अभ्यर्थी का नाम	मंजूर लता
2.	डाक का पूरा पता	228K अमरदादपुर गोरखपुर
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	
4.	राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा निर्दलीय लिखें)	निर्दलीय
5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारवास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	कुद नहीं
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	कुद नहीं
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	कुद नहीं

*Kendra Nath Tripathi*  
NOTARY  
Distic Court Gkp

16/11/2017

*Munish*



**निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961**  
(कानूनी नियम और आदेश)

7.		का स्थायी खाता संख्या (पी ए एन)	वह जिसमें अंतिम आय-कर विवरणों फाइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय		
	(क) अभ्यर्थी	ACWPL7959H	2016-17	630493		
	(ख) पति/पत्नी	BPPPK4519A	2016-17	495271		
	(ग) आश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपों में ब्यौरे					
	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
अ.	जंगम अस्तियां (कुल मूल्य)					
आ.	स्थावर आस्तियां					
	I स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	1250000 3804800	740000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	II क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	III (क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासिती आस्तियों (कुल मूल्य), की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	5054800 6000000	740000 100000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	दायित्व					
	(i) सरकार के देय (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य में ऋण (कुल)	एच.वी.आई. 2330216	एच.वी.आई.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त है					
	(i) सरकार के देय (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	उच्चतम शिक्षक अर्हता : एम. ए. राजनीति शास्त्र जी.के.के. जो 1997-2001 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)					

**सत्यापन**

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतवस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई मात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है। मे यह भी घोषित करता हूँ कि :-

(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी सा मेरे आश्रित की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

स्थान पर आज तारीख 16-1-17 को सत्यापित किया गया।

Maujy Jaba  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुपाठ्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।

NOTARY  
Distric Court Gkp  
16-1-2017

Maujy Jaba

**Declaration by candidate/election agent/proposer while submitting the photograph of the candidate**

Subject- Election to \_\_\_\_\_ (mention the name of the House) from \_\_\_\_\_ (name of the constituency)/election to Council of States/Legislative Council by Assembly Members.

I \_\_\_\_\_  
(name and address), Son/daughter/wife of Sh \_\_\_\_\_ nominated as candidate for the abovementioned election, am submitting herewith my photograph for the purpose of printing the same on the ballot paper, I declare that the photograph has been taken during the last 3 months before the date of notification of election.

(fill up this part when the candidate himself is submitting the photograph)

OR

I \_\_\_\_\_ (name), election agent/proposer of Sh. \_\_\_\_\_, (name and address of the candidate), son/daughter/wife of Sh \_\_\_\_\_ a candidate for the abovementioned election, hereby submit the photograph of the said candidate for the purpose of printing the same on the ballot paper I declare that the photograph has been taken during the last 3 months before the date of notification of election.

(fill up this part when the election agent/proposer is submitting the photograph).

Date \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Tei No. \_\_\_\_\_

**Notice by Returning Officer for non-submission of Photograph of the**  
**candidate**

Name of constituency .....  
Name of the candidate .....  
Date and time of filling nomination paper .....  
Sl. No. of nomination paper .....

As per the direction of the Election Commission, photograph of the candidate is required to be printed on the ballot paper.

It is hereby brought to your notice that you have not submitted your photograph for this purpose.

You are required to submit to submit your photograph by 3 P.M. on \_\_\_\_\_ (date fixed for scfutory of nominations)

The specification for the photograph are as follows:

- (i) Candidates are required to submit their recent photograph (taken during the preceding period of 3 months before the date of notification).
- (ii) Photograph should be stamp size 2cm X 2.5cm (two cm in breath and 2.5 cm in height) in white/off white background with full face view directly facing the camera natural facial expression with eyes open. The Photo may be in colour or black and white as may be convenient for the candidate.
- (iii) Photo graph should be in normal clothing, Photograph in uniform is not permitted. Caps/hats should be avoided. Dark glasses has also to be avoided.

The Photograph has to be submitted along with the declaration in the enclosed format.

It may be noted that if photograph is not submitted by the time mentioned above, your photo will not be printed on the ballot paper.

Received

.....

(Signature of candidate)

Date & time

Place

.....

Signature of RO/ARO

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES



NOTARY  
Distric Court, Gkp

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


समक्ष :-

11AD 656217

निर्वाचन अधिकारी,  
गोरखपुर फेजाबाद छांड स्नातक क्षेत्र  
विधान परिषद

संलग्नक :-

एनेक्सर



Jitendra Nathi Tripathi  
NOTARY  
Distric Court, Gkp  
16-1-2017

Moujy Jaha

शुपय केश  
मेजरलता

**Additional Affidavit to be submitted by candidates**

Election to Member of legislative councils (Name of the House),  
from G.K.P. FAIZABAD, KHANICONSULTANCY.

I Manjula (name of candidate), son/daughter/wife of Amit Kumar  
aged 38 years, resident of Allahabad, Gorakhpur  
a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election .

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at \_\_\_\_\_ (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior of the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on \_\_\_\_\_ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues certificated" from the agencies concerned are attached hereto.

**VERIFICATION**

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at Gorakhpur this the 15 day of JANUARY 2017

DEPONENT



Manjula

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

निर्देश

दिनांक : 21 मई, 2015

सं. 576/3/2015/एसडीआर : यत्., निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 70 के साथ पठित नियम 22, 30 एवं 49ख के अधीन इवीएम की वोलिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्रों, साधारण मत पत्र एवं डाक मत पत्रों पर एसे विवरण निहित होंगे जैसाकि निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और

1 यत्., उपरोक्त नियमों के अनुसारण में, आयोग ने वोलिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मत पत्र एवं डाक मत पत्र और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचनों के लिए मत पत्रों पर मुद्रित किए जाने वाले विवरणों को विनिर्दिष्ट कर दिया है, और

2 यत्., आयोग ने यह नोट किया है कि एसे बहुत से मामले हैं जहां अभ्यर्थी एक जैसे या समान नाम से एक ही निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ते हैं, और यद्यपि एक समान नाम वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मामले में, अभ्यर्थियों के नाम में उपयुक्त प्रत्यय जोड़े जाते हैं, फिर भी आयोग ने विचार किया है कि मतदान के समय निर्वाचकों के मस्तिष्क से भ्रम को निकालने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और इसी अतिरिक्त आयोग ने यह विचार किया है कि मत पत्र पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ को निर्वाचकों को अपना मत डालने में और अभ्यर्थियों को भी अपना प्रचार करने में सुविधा होगी।

3 अतः, अब, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 70 के साथ पठित नियम 22, नियम 30 तथा नियम 49ख के अधीन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विद्यमान निर्देशों के आंशिक संशोधन में, आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि : मई, 2015 के बाद कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों में इवीएम की वोलिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मत पत्रों, साधारण मत पत्रों तथा डाक मत पत्रों में विद्यमान निर्देशों के अनुसार विवरणों के अतिरिक्त इन पर अभ्यर्थियों के फोटो भी मुद्रित होंगे। अभ्यर्थियों के फोटो, अभ्यर्थियों के नाम के लिए पैजल में मुद्रित होंगे तथा अभ्यर्थी के नाम तथा पत्नीक के मध्य में नाम के दाहिने ओर या मत/प्राथमिकता चिन्हित करने के कर्तव्य, जैसा भी स्थिति हो, में आएगा। फोटोग्राफ के लिए विनिर्देशन निम्नलिखित अनुसार होंगे -

- (क) अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम फोटो प्रस्तुत करना अपेक्षित है (प्रतिभूचना की तिथि से 3 माह पहले की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया हो)
- (ख) फोटो फ्लाइड/ऑफ फ्लाइड पृष्ठभूमि में स्ट्यान्ड आकार 2से.मी. x 2.5 से.मी. (चौड़ाई में 2 से.मी. तथा ऊंचाई में 2.5 से.मी.) होनी चाहिए, पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ हो चेहरे की तटस्थ अभिव्यक्ति हो तथा आंखें खुली हों। फोटो अभ्यर्थी की सुविधानुसार रंगीन या काला और सफेद हो।
- (ग) फोटो साधारण पोशाक में होना चाहिए। बटी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/हेट लगाने से बचना चाहिए/गहरे रंग के शश्मे से भी बचना चाहिए।

4 उपरोक्त निर्देश, इसके पश्चात् आयोगित किए जाने वाले सभी लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद के निर्वाचनों पर लागू होंगे।

आदेश से  
अनुज जयपुरिया  
(अनुज जयपुरियार)  
सचिव

# ट्रेजरी - चालान

संख्या \_\_\_\_\_ ट्रेजरी/स्टेट बैंक का नाम \_\_\_\_\_

अभ्यर्थी का नाम	नाम पद व पता जिसकी ओर से	जमा किये जाने का उद्देश्य	धनराशि	लेखाशीर्षक	बैंक के लिए
1	2	3	4	5	6
मंजू लता	मंजू लता w/o अमित कुमार, 228K वर्मा कालोनी अमरकान्तापुर, गोरखपुर	गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के सम्बंध में जमानत की धनराशि	100000/-	8443- सिविल जमा-121- निर्वाचनों के सम्बंध में जमा-1-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डलों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई धनराशि	

धनराशि शब्दों में - एक लाख रुपये मात्र —————


6050006

भारतीय स्टेट बैंक

गोरखपुर - 0086

16 JAN 2017

N. A. YADAV-6598765




24  
A.R.O

क्र. 0/सं० ..... 322- गोरखपुर शहर ..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ..... नाम  
 क्र० सं० ..... x ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम .....  
 राज्य— उत्तर प्रदेश ..... सन् 2017 ई० .....  
 जनपद— गोरखपुर ..... भाग संख्या / मतदेय स्थल की संख्या ..... 321  
 तहसील— सदर ..... नगर / ग्राम / मुहल्ला— अलहाबादपुर

क्र. 0/सं०	मतदाता का नाम	सम्बन्ध	पिता/माता/पति का नाम	लिंग	आयु	फाटा पहचान पत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7

379- 228 मंजू लता — श्रीमंत कुमार - महिला 38 - ISP/619105

प्रतिलिपिकर्ता— 3  
 तुलनाकर्ता— 16/01/2017  
 सवाल नम्बर— 06  
 नाम प्रार्थी श्री— मंजू लता  
 तारीख सवाल— 16.1.2017  
 तादाद फीस— 14/-  
 चलान नम्बर— 20  
 चलान दिनांक— 16.1.2016  
 तारीख नोटिस— 16.1.2016  
 तारीख हवालगी— 16.1.2016  
 हस्ताक्षर— 3



सत्य प्रतिलिपि  
 सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी  
 गोरखपुर।